

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या- 21 /2018/496 /दो-2-2018-28/2(2)/2018  
लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2018

संशोधन आदेश

श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, पी0सी0एस0-1997 सेवानिवृत्त के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि रू0-24,24,929/- (रू0-चौबीस लाख चौबीस हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि रू0-21,82,436.01 अर्थात रू0-21,82,436.00 (रू0 इक्कीस लाख बयासी हजार चार सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यालय आदेश संख्या-19/2018/428/दो-2-18-28/2(2)/2018, दिनांक 08 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-1 की दूसरी पंक्ति में उल्लिखित जी0पी0एफ0 खाता संख्या-"एल0आर0ए0यू0-1402" के स्थान पर जी0पी0एफ0 "खाता संख्या-एल0आर0ए0यू0-2402" पढा जाय।

2- उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 08 फरवरी, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

धनन्जय शुक्ल  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, पी0सी0एस0-1997, तत्कालीन अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- कोषाधिकारी कलेक्टेट,कोषागार, लखनऊ।
- 4- श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-647-एफ/222/1, सेक्टर-आई, शिव विहार कालोनी, जानकीपुरम, लखनऊ-226021

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।